**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**राजस्व विभाग**

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न सं. *345**
**(जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)**

**वरिष्ठ नागरिकों को कर राहत**

*345. **श्री टी.आर.बालूः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की आयकर छूट की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करके 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को और कर राहत प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से वसूल किए गए आयकर का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्री**
**(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

**(क) से (ग):** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

**“वरिष्ठ नागरिकों को कर राहत” के बारे में दिनांक 18 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ श्री टी.आर. बालूः द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 345 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) जी नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को पहले ही बहुत सी राहतें प्रदान की जा चुकी हैं। छूट और कटौतियों को समाप्त करते हुए कर दरों को कम करना सरकार की घोषित नीति है। तदनुसार लचीले स्लैब, निम्नतर दरों और उच्चतर छूट वाली नई कर व्यवस्था दिनांक 1.4.2025 से प्रारंभ विगत वर्ष से लागू हो गई है। इसके अतिरिक्त कर दरों या राहत से संबंधित किसी भी मामले का निर्णय नियमित बजटीय प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और उसके परिणाम संबंधित वित्त अधिनियम में परिलक्षित होते हैं।

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से संग्रहित आयकर का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्रम सं. | निर्धारण वर्ष (नि.व.) | संग्रहित कर (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | 2020-21 | 25,969.63 |
| 2. | 2021-22 | 28,090.77 |
| 3. | 2022-23 | 39,537.42 |
| 4. | 2023-24 | 48,152.79 |
| 5. | 2024-25 | 61,624.23 |

*****